

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2013/वैशाख 18, 1935 [ रा.रा.रा. क्षेत्र सं. 30  
No. 77] DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2013/VAISAKHA 18, 1935 [N.C.T.D.No. 30

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2013

सं. फा. 23(488)/परि.वि./ऑपरेशन/2010/197.—इस संबंध में पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिकरण में तथा दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त उप-धारा (1) के खंड (घ) के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश देते हैं, अर्थात्:—

1. इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आटो रिक्शा तथा टैक्सी (काली तथा पीली छत) के ऑपरेटर्स द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा:—

(क) ऑटो रिक्शा

(i) किराया -

(जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले कोन्ड के लिए 0.50 रुपये के प्रभासों सहित)

(ii) रात्रि प्रभार -

(iii) प्रतीक्षा प्रभार -

(iv) सामान प्रभार -

प्रथम दो किलोमीटर के लिये 25 रुपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके परचात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिये 8.00 रुपये

किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक) प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रुपये (कम से कम 15 मिनट तक उठरने के लिये)

7.50 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

KB\*3PH8#D  
egaz (2013) 75/28  
update 28

(ख) टैक्सी (काली और पीली छत)

- |   |  |
|---|--|
| (i) किराया<br>(जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटो रिकशा उपलब्ध करने वाले केंद्र के लिए 0.50 रुपये के प्रभारों सहित) | पहले 1 किलोमीटर के लिये 25 रुपये (मीटर डाउन करने पर) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिये नॉन एसी टैक्सी 14.00 रुपये तथा एसी टैक्सी के लिए 16.00 रुपये प्रति किलोमीटर |
| (ii) रात्रि प्रभार  | किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)  |
| (iii) प्रतीक्षा प्रभार  | प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रुपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)   |
| (iv) सामान प्रभार   | 10 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अद्वैती/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।                                |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपमुख्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पुनीत के. गोयल, सचिव एवं आयुक्त

#### TRANSPORT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2013

No. F. 23(488)Tpt/Ops/2010/197.—In supersession of earlier notifications in this behalf and in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (d) of the said sub-section (1) hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely:—

From the date of publication of this notification in the Official Gazette, the fares chargeable by the operators of Auto Rickshaws & Taxis (Black & Yellow Top), in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows:—

##### (A) Auto Rickshaws

- |  |  |
|--|--|
| (i) Fare (including Rupees 0.50 charges for GPS/GPRS/Control room and dispatch centre for facilitating Auto Rickshaw on demand): | Rupees 25 for first fall of 2 Kilometer (upon downing the meter) and thereafter Rupees 8.00 per kilometer for every additional kilometer;                    |
| (ii) Night Charges :   | 25% of the Fare (11:00 P.M. to 5:00 A.M.);   |
| (iii) Waiting Charges :  | Rupees 30 per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay);  |
| (iv) Luggage Charges :   | Rupees 7.50 shall be charged as Extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small attache/suitcase. |

##### (B) Taxis (Black & Yellow Top)

- |   |  |
|---|--|
| (i) Fare (including Rupees 0.50 charges for GPS/GPRS/Control room and dispatch centre for facilitating taxi on demand):<br>kilometer; | Rupees 25 for first kilometer (upon downing the meter) and thereafter Rupees 14 per kilometer for Non-AC Taxis and Rupees 16 per kilometer for AC Taxis for every additional |
| (ii) Night Charges:   | 25% of the fare (11:00 P.M. to 5:00 A.M.);   |
| (iii) Waiting Charges   | Rupees 30 per hour or part thereof (subject to a minimum of 15 minutes stay);  |

(iv) Luggage Charges :

Rupess 10 shall be charged as Extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small attache/suitcase.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

PUNEET K. GOEL, Secy. -cum -Commissioner

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2013

सं.फा. 711/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 11 की उप-धारा (10), सहपठित मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु योजना, 1996 के पैरा 12 जो कि अधिसूचना सं. 16/नियम/डीएचसी, दिनांक 29-01-1996 के द्वारा अधिसूचित एवं पुनः अधिसूचना सं. 174/नियम/डीएचसी दिनांक 18-08-2003, अधिसूचना सं. 391/नियम/डीएचसी, दिनांक 09-11-2009 एवं अधिसूचना सं. 253/नियम/डीएचसी, दिनांक 23-07-2010 के द्वारा संशोधित, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित योजना के पैरा 10 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. पैरा 10 को हटाया जाता है ।

टिप्पण : यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

न्यायालय के आदेशानुसार,

संगीता धींगरा सहगल, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2013

No. F. 711/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996) read with Para 12 of Scheme for Appointment of Arbitrators, 1996 notified vide Notification No. 16/Rules/DHC, dated 29-01-1996 and further amended vide Notification No. 174/Rules/DHC, dated 18-08-2003, Notification No. 391/Rules/DHC, dated 09-11-2009 and Notification No. 253/Rules/DHC, dated 23-07-2010, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Delhi hereby makes the following amendment in Para 10 of the said Scheme :—

1. Para 10 shall stand deleted.

Note : This amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By Order of the Court,

SANGITA DHINGRA SEHGAL, Registrar General